कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, मैनपुरी

दिनांकःमार्च 20,2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तयी वर्ष 2024.–25 के लिये जनपद न्यायालय, मैनपुरी के परिसर पर स्थित निम्नलिखित दुकानों के ठेका हेतु नीलामी प्रकिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति– श्रीमती मुनव्वर जहां, अध्यक्ष/अपर जिला जज कक्ष संख्या–1, श्रीमती पूनम राजपूत, सदस्य/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, श्री रवि कुमार सागर, सदस्य/सिविल जज(प्रवर वर्ग) कक्ष संख्या–2 एवं श्री नीतिन सक्सेना, सदस्य/कोर्ट मैनेजर, जनपद न्यायालय, मैनपुरी की उपस्थिति व निर्देशन में दिनांक 28.03.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे से जनपद न्यायालय मैनपुरी के केन्द्रीय सभागार में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र(आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राईविंग लाइसेन्स आदि) के साथ उपस्थित हो।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण

कमांक	नाम दुकान/ठेका	संख्या
1	ठेका साईकिल स्टैन्ड एवं दोपहिया व चार पहिया पाहन	1
2	ढेका फोटोग्राफी	1
3	ठेका फोटोस्टेट	1
4	ठेका फल चाट, शिकंजी, बेल का जूस, ठेका उबला चना, आलू, मूंगफली, भुट्टा	1
5	ठेका पान सुपारी	1
6	ठेका मंजन, चूर्ण, तेल, मजमा	1
7	ठेका कैन्टीन	1

नीलामी की शर्ते

1- यह ठेका दिनांक 01.04.2024 से से 31.03.2025 तक के लिये वैद्य होगा।

2. जिस ठेकेदार के यहां ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया हैं, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

4. जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करानी होगी तथा शेष धनराशि 20–20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों(प्रथम किश्त जून 2024, द्वितीय किश्त सितम्बर 2024 व तृतीय किश्त दिसम्बर 2024) करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया राशि भू राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराषि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

6. ठेके की बोली स्वीकृत व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिक्तम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी होगा।

7. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 31/एस. दिनांकित 16.03.1998 में दी गयी शर्तो के अनुसार बोली के पश्चात रूपये 100/– का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8. ठेकेदार को न्यायालय परिसर में स्थित अपने दुकान के पास साफ–सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेयगी जहां से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेंगे।

10. न्यायालय परिसर में जो स्थान दुकान करने हेतु दिया जायेगा, उसी स्थान में दुकान करना होगा।

11. न्यायालय परिसर में ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे, वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानकों के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा।

12. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

13. किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नही किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

14. उपरोक्त शर्तो में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दे या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दे।

(रवि कुमार सागर)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर सिविल जज(प्रवर वर्ग)
मैनपुरी

(पूनम राजपूत)
सदस्य
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.)
मैनपुरी

(मुनव्वर जहां)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर जिला जज, कक्ष संख्या–1
मैनपुरी

(नितिन सक्सेना)
न्यायालय प्रबन्धक
जनपद न्यायालय, मैनपुरी

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित</u>

1. नाजिर, कलेक्ट्रेट, मैनपुरी।
2. कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
3. कार्यालय अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
4. कार्यालय अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी।
5. स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जनपद न्यायाल, मैनपुरी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को

(रवि कुमार सागर)
सदस्य
नीलामी समिति/
अपर सिविल जज(प्रवर वर्ग)
मैनपुरी

(पूनम राजपूत)
सदस्य
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.)
मैनपुरी

(मुनव्वर जहां)
अध्यक्ष
नीलामी समिति/
अपर जिला जज, कक्ष संख्या–1
मैनपुरी

(नितिन सक्सेना)
न्यायालय प्रबन्धक
जनपद न्यायालय, मैनपुरी